

प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्य के विधानमण्डल के समक्ष रखे जाने के लिए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में 'मध्यप्रदेश में डॉयल 100 आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली' के नवम्बर 2015 से मार्च 2020 तक की अवधि के निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम समाहित हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित प्रकरण उनमें से हैं, जो नमूना लेखापरीक्षा के दौरान जानकारी में आए।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा संपादित की गई है।

